


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री जोपाललाल
योगेश्वर सिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / / 201९

दायर दि० १-५-१८
फैसल दि० ५-५-१८

श्री विष्णु लाल श्रीवा अनवान
(वादी) श्री विष्णु लाल श्रीवा बनाम
(प्रतिवादी) श्री विष्णु लाल श्रीवा

वादी श्री उपरोक्त ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा शोवाडी के खाता नम्बर 387 जमाबन्दी सं० 251-74
में अंकित स्वयं/पित्त का नाम विष्णु लाल श्रीवा
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
विष्णु लाल श्रीवा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम
वीर दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम विष्णु लाल
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।
अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दूसागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा शोवाडी की जमाबन्दी संवत् 2071-74
के खाता संख्या 387 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम वीर में संशोधन कर सही नाम
विष्णु लाल श्रीवा दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार फालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फौसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला इंदौर (म.प्र.)